न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) (भोपाल बेंच)

प्रकरण क्र. ..../17

नि/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/6109

अरूण देव आयु 56 वर्ष पुत्र स्व. श्री मधुकर राव देव जाति दक्षिणी पंडित निवासी ग्राम अरनोट वर्तमान निवास भवन क्रमांक 153 बेस्ट ब्लॉक आधार शिला कम्पार्टमेन्ट , साईं मंदिर के पास अवधपुरी , भोपाल (म.प्र.)

........................निगरानीकर्ता/अनावेदक

विरूद्ध

1. श्रीमति मालती देव आयु 77 वर्ष पत्नि स्व. श्री मधुकर राव देव जाति दक्षिणी पंडित निवासी ग्राम अरनोट तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

2. श्रीमति धनिष्टा कुलकर्णी आयु 62 वर्ष पुत्री स्व. श्री मधुकर राव देव पत्नि स्व. श्री धनंजयराव जाति दक्षिणी पंडित निवासी ग्राम मतावली तहसील मुंगावली तहसील मुंगावली जिला अशोक नगर (म.प्र.)

3. श्रीमति ज्योति उर्फ ज्योत्सना पेट्रस आयु 52 वर्ष पुत्री स्व. श्री मधुकर राव देव पत्नि श्री रॉड्रिक पेट्रस निवासी आनंद नगर ऋषि पुरम फेस–3 भोपाल (म.प्र.)

4. श्रीमति मीना उर्फ मीनाक्षी तेलंग आयु 47 वर्ष लगभग पुत्री स्व. श्री मधुकर राव देव पत्नि मधुकर राव तेलंग जाति दक्षिणी पंडित निवासी तेलंग निवास पुराना बाजार कर्वी जिला चित्रकूट (उ.प्र.)

5. श्रीमति भावना उर्फ प्रतिभा गोलबलकर आयु 44 वर्ष लगभग पुत्री स्व. श्री मधुकर राव देव पत्नि श्री पदमाकर गोलबलकर जाति दक्षिणी पंडित निवासी पंडापुरा गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

क्रमशः...............2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/6109 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.12.2017	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन को उभयपक्षों को सुनने के उपरांत अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन स्वीकार करते हुए अपील को समायावधि के अंदर मान्य करते हुए प्रकरण को अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। आवेदक को गुण–दोष पर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। परिणामस्वरूप यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	